उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 154/सत्तर–1–08–20(13)/2006
लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2008

विषय– निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में दिशा–निर्देश।

———0———0———0———

प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है, परन्तु निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई दिशा–निर्देश उपलब्ध न होने के कारण इनके लिए मानकों का निर्धारण एवं उसे पूर्ण किये जाने की स्थिति में अनुमति दिये जाने में कठिनाईयाँ अनुभव की जा रही है।

2– उपर्युक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में पृथक् अधिनियम द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों एवं मानकों का निर्धारण किया गया है :–

2.1 निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली प्रायोजक संस्था (सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी)के लिए यह आवश्यक है कि वह :–

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत हो, या

(ख) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2 सन् 1882) के अधीन पंजीकृत हो, या

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–1 सन् 1956) की धारा 25 के अधीन पंजीकृत हो।

2.2 प्रायोजक संस्था को निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आवेदन पत्र को राज्य सरकार को निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद के पक्ष में रूपये एक लाख का डिमाड ड्राफ्ट के साथ देना होगा।

2.3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए :-

(1) प्रायोजक संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली,

(2) प्रायोजक संस्था के आय के स्रोत तथा विगत पांच वर्षों के सम्परीक्षित लेखा,

(3) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, स्थान एवं मुख्यालय,

(4) विश्वविद्यालय का उद्देश्य

(5) भूमि की उपलब्धता तथा भवन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विवरण, यदि पूर्व से विद्यमान हो,

(6) प्रायोजक संस्था के पास शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, यदि हों, को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता,

(7) विश्वविद्यालय के क्रियाशील होने से पूर्व विश्वविद्यालय परिसर के विकास, प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा आवश्यक उपकरणों आदि के क्रय की विस्तृत योजना व प्रथम पांच वर्षों का चरणबद्ध कार्यक्रम,

(8) अगले पांच वर्षों में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के लिए चरणबद्ध परिव्यय तथा उसके वित्त पोषण के स्रोत,

(9) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक एवं शोध कार्यक्रमों का विवरण तथा प्रदेश के विकास व रोजगार की आवश्यकताओं के सापेक्ष उनकी प्रासंगिकता, तथा प्रथम पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों की फेजिंग (phasing), वर्षवार नामांकन के लक्ष्य सहित,

Document in Scrap (2)

(10) सम्बन्धित डिसिप्लिन्स (disciplines) में प्रायोजक संस्था के पास उपलब्ध अनुभव एवं निपुणता,

(11) प्रस्तावित सुविधायें, पाठ्यचर्या व शोध जिनको प्रारम्भ किया जाना है,

(12) अनुमानित आवर्तक व्यय पाठ्यचर्यावार या गतिविधिवार (activitywise), वित्त पोषण के स्रोत, तथा अनुमानित व्यय प्रति छात्र,

(13) साधन जुटाने (mobilisation of resources) की योजना व पूंजी-लागत (cost of capital), तथा इन साधनों के अदायगी की योजना,

(14) निधि (funds) के आन्तरिक सृजन (internal generation) की योजना यथा छात्रों से ली जाने वाली फीस, परामर्शी सेवाओं तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों से सम्भावित आय, तथा अन्य प्रत्याशित आय,

(15) प्रस्तावित फीस ढाचा तथा इकाई लागत (unit cost) में शामिल व्यय के विवरण, गरीब छात्रों, विकलांग छात्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए फीस में प्रस्तावित छूट/रियायत, छात्रवृत्ति आदि का विवरण,

(16) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं शोध विषयों में छात्र प्रवेश हेतु प्रस्तावित चयन प्रक्रिया,

(17) विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित पद्धति,

(18) यदि विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना चाहती है तो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों का विवरण,

(19) यदि विश्वविद्यालय स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत कोई कार्यक्रम संचालित करना चाहती है तो इस हेतु प्रस्तावित विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण या शोध गतिविधिया,

(20) यदि विश्वविद्यालय किसानों, महिलाओं तथा उद्योगों के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करती है तो उसका विवरण,

(21) विश्वविद्यालय में खेल-कूद से सम्बन्धित क्रीड़ा स्थल व अन्य सुविधाओं व कार्यक्रमों तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काउट एव गाइड्स, आदि प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण,

(22) शैक्षिक सम्परीक्षा (academic auditing) के लिए प्रस्तावित व्यवस्था,

(23) विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता का औचित्य,

(24) विनियामक निकाय (regulating bodies) के नियमों/मानकों को पालन करने की बचनबद्धता,

(25) अन्य ऐसा विवरण जो प्रायोजक संस्था देना चाहे,

(26) अन्य ऐसा विवरण जो कि विहित किये जायें।

2.4 राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्राप्त किये गये प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन करेगी जिनमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सदस्य होगे ।

2.5 समिति निम्नलिखित आधार पर प्रस्ताव एव परियोजना रिपोर्ट पर विचार करेगी.

(1) प्रायोजक संस्था की वित्तीय सबलता, उसके पास उपलब्ध परिसम्पतिया तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय की अवस्थापना सृजन हेतु उसकी योग्यता,

(2) प्रायोजक संस्था की पृष्ठभूमि यथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव एव निपुणता, आम ख्याति तथा विनियामक निकायों के नियमों को पालन करने की बचनबद्धता,

(3) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की संभाव्यता (potentiality) अर्थात वर्तमान परिदृश्य में मानव संसाधन विकास में उनकी उपयोगिता, नये लक्षण (new features) तथा सम्मिलित emerging branches of learning

2.6 समिति प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार हेतु प्रायोजक संस्था से यथावश्यक अन्य सूचना प्राप्त कर सकेगी।

2.7 समिति गठन की तिथि से एक माह में राज्य सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2.8 उक्त एक माह की अवधि में प्रस्तर 2.6 अनुसार सूचना प्राप्त करने की अवधि शामिल नहीं की जायेगी।

2.9 समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव से संतुष्ट है, तो आशय–पत्र (letter of intent) निर्गत किया जा सकता है एवं प्रायोजक संस्था से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की अपेक्षा करते हुए सूचनायें प्राप्त की जायेंगी :–

(1) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम् रूपया दस करोड़ की धनराशि से स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जाये,

(2) न्यूनतम् 50 एकड़ की परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो,

(3) उक्त भूमि पर कम से कम 24 हजार वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन का निर्माण किया जाये, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा,

(4) कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रूपये मूल्य के उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य चल व अचल परिसम्पतियां तथा अवस्थापना सुविधायें (उक्त 2.9 (3)में उल्लिखित भवन के अलावा) क्रय की जायें तथा प्रथम पांच वर्षो में चार करोड़ रूपये मूल्य के उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, अन्य चल व अचल परिसम्पतिया तथा अवस्थापना सुविधायें (उक्त 2.9 (3)में उल्लिखित भवन के अलावा) स्थापित किये जाने की बचनबद्धता,

(5) प्रत्येक विभाग या डिसिप्लिन (discipline) में कम से कम एक प्रोफेसर, दो रीडर व यथावांछित संख्या में लेक्चरार तथा अन्य सपोर्टिंग स्टाफ (supporting staff) को नियुक्त करने की बचनबद्धता,

(6) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रूपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय किया जाये, तथा प्रथम तीन वर्ष में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर, लाइब्रेरी नेटवर्किंग तथा अन्य लाइब्रेरी सुविधाओं हेतु न्यूनतम रूपये पचास लाख नियोजित करने की बचनबद्धता ,

(7) छात्रों के लिए को–करिकुलर एक्टीविटीज (co-curricular activities) यथा वाद–विवाद (debate), प्रश्नोत्तरी (quiz) कार्यक्रम तथा एक्स्ट्रा–करिकुलर एक्टीविटीज (extra-curricular activities) यथा खेल–कूद, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 आदि को विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की बचनबद्धता,

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए0आई0सी0टी0ई0 अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करनी होगी,

Document in Scrap (2)

(9) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्राविडेन्ट फण्ड की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने की बचनबद्धता,

(10) निजी विश्वविद्यालय की कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम एवं विनियम के प्राविधानों से असंगत न होगी।

2.10 प्रायोजक संस्था एक वर्ष अधिकतम के भीतर राज्य सरकार को इस आशय का एक स्पष्ट प्रति शपथपत्र (unambiguous affidevit), यथावांछित अभिलेख सहित, देगी कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशय–पत्र में वर्णित सभी शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है।

2.11 निर्धारित शर्तों की पूर्ति विषयक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा इसे सत्यापित करने के लिए उपयुक्त सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी।

2.12 समिति स्थापना की तिथि से एक माह भीतर राज्य सरकार को इस आशय की अपनी रिपोर्ट देगी कि प्रायोजक संस्था द्वारा आशय पत्र में वर्णित शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है अथवा नहीं।

2.13 यदि प्रायोजक संस्था आशय–पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष भीतर निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है तो प्रायोजक संस्था के प्रस्ताव को अस्वीकृत माना जायेगा तथा निर्गत आशयपत्र भी निरस्त माना जायेगा।

2.14 प्रायोजक संस्था द्वारा युक्तियुक्त कारणों सहित आशय–पत्र की अवधि बढ़ाने का निवेदन करने पर, यदि उन कारणों से राज्य सरकार संतुष्ट होती है तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त समयसीमा प्रदान की जा सकती है।

2.15 यदि राज्य सरकार समिति द्वारा उक्त प्रस्तर 2.12 के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होती है तो निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अ न श्रीवास्तव
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 154 (1)/सत्तर–1–08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 सचिव, भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग , शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

2– प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।

4– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110002 (भारत)।

5– सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

6– सदस्य सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, उर्दुघर मार्ग नई दिल्ली– 110002

7– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

8– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

9– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

10– अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ–226001।

11– निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

12– समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

13– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

6.2.08

(पी0एन0 बाथम)
विशेष सचिव

cument is Secure (2)